रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 741] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2017/फाल्गुन 24, 1938
No. 741] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2017/PHALGUNA 24, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2017

का.आ. 826(अ).—केन्द्रीय सरकार, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 3270(अ) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 22 और 23 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात :—

"22.	चौ. किशोर कुमार 402, विनयगर एवेन्यू, डी सं. 6-3-2/6 जी गंगापुर लेआउट विशाखापट्टनम-530003 आंध्र प्रदेश	—सदस्य
23.	श्री सन्नापुरेड्डी सुरेश रेड्डी जी-1, बालाजी क्लासिक अपार्टमेंट बेजावाडा गोपाल रेड्डी मूर्ति के पास गोमती नगर, नेल्लोर -524003 आंध्र प्रदेश	—सदस्य"

[फा. सं. 1/9/2009-ईपी(एमपी)-खंड II]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना दिनांक 03.12.2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित की गयी थी तथा उसके पश्चात दिनांक 18 जनवरी, 2016 के सा.का.नि. 79(अ) और दिनांक 24 जून, 2016 के का.आ. 2297(अ) के तहत उसमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2017

S.O. 826(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972), read with rules 3 and 4 of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number S.O. 3270(E), dated the 3rd December, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), namely:—

In the said notification, for serial numbers 22 and 23 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

"22. Ch. Kishore Kumar,
402, Vinayagar Avenue, D. No: 6-3-2/6G,
Gangapur Lay Out,
Vishakhapatnam – 530003,
Andhra Pradesh. —Member

23. Shri Sannapureddy Suresh Reddy,
G-1, Balaji Classic Apartment,
Near Bejawada Gopal Reddy statue,
Gomathy Nagar, Nellore – 524003,
Andhra Pradesh. —Member"

[F. No. 1/9/2009-EP (MP)-Vol. II]
SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) dated 03.12.2015 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 79(E), dated the 18th January, 2016 and S.O. 2297(E), dated the 24th June, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.16 11:59:45 +05'30'